# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर जिला सीकर

क्रमांकः–2025/54 दिनांकः–24.07.2025

## आदेश

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक जी/1/ए–4(i)(a)162/2022/702 दिनांक 24.07.2025 द्वारा एकल पीठ आपराधिक विविध सजा का निलम्बन आवेदन संख्या 1687/2024 उनवानी इब्रा उर्फ इबरान बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 24/07/2025 को पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में संदर्भित की है।

2. उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के दिनांक 18.07.2025 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने के कृत्य को अवैधानिक मानते हुये समस्त कर्मचारीगण को यह निर्देश दिये है कि वे दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10 बजे अपने–अपने कार्यस्थलों पर उपस्थिति देवे।

3. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश की पालना में सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10 बजे अपने–अपने कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित आयें अन्यथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10.30 बजे जिला कलेक्टर सीकर एवं पुलिस अधीक्षक सीकर से मीटिंग करके न्यायालयों में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये वैकल्पिक उपचार काम में लिये जायेगें। वैकल्पिक कार्य व्यवस्था के दौरान अभिलेख के गायब हो जाने पर उसके लिये उस सीगे पर नियुक्त संबंधित कर्मचारी ही उत्तरदायी होगा।

—Sd—
राजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर

क्रमांक :– दिनांक :– 24.07.2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :– 58

1. सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त पीठासीन अधिकारीगण को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब इस आदेश की प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे एवं कर्मचारीगण को भी वाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से सूचित करें।
2. प्रोटोकॉल अधिकारी कम प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रतिलिपि कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें एवं सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को वाट्सएप से एवं अन्य उचित माध्यमों से निर्देश की पालना करने हेतु पाबंद करे।
3. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा सीकर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रेषित कर निर्देश है कि सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारीगण को वाट्सएप से एवं अन्य उचित माध्यमों से निर्देश की पालना करने हेतु पाबंद करे।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश को अविलम्ब सीकर न्यायक्षेत्र की वैबसाईट पर अपलोड करें।

24.07.2025
राजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर